रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 2012/आश्विन 25, 1934
No. 2080] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2012/ASVINA 25, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2511(अ).—यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 2012 (जिसे इसके पश्चात मूल आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं.सा.आ.88(अ) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100% के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है । उक्त मुख्य आदेश की वैद्यता को आदेश सं. का.आ. 2362 (अ) दिनांक 28 सितंबर 2012 के द्वारा 30.11.2012 तक बढ़ाया गया है ।

तथा, यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को किन्हीं मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है ।

और यद्यपि, केन्द्रीय सरकार ने 9 जुलाई, 2012 के आदेश सं. का.आ. 1524 (अ) के द्वारा जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए (और इस प्रकार खाद्यानों की पैकिंग के लिए पटसन के अलावा अन्य सामग्री की अनुमति देना) खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2012-13 के दौरान जुलाई-सितंबर, 2012 की अवधि से 3.5 लाख गांठों की कुल मात्रा तक राज्य एजेंसियों को मूल आदेश के प्रचालन से छूट दी है ।

तथा यद्यपि, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि एचडीपीई/पीपी बोरों की 3.5 लाख गांठों की खरीद के लिए उपर्युक्त छूट में से एचडीपीई/पीपी बौरों की 2.188 लाख गांठों के

लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी और इसलिए अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश सं. का.आ. 1524(अ) को केएमएस 2012-13 के दौरान एचडीपीई/पीपी बौरों की शेष 2.188 लाख गांठों को 30 सितंबर, 2012 से आगे बढ़ाया जाए ।

तथा यद्यपि, केन्द्र सरकार ने केएमएफ 2012-13 के लिए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए बी. ट्विल पटसन बौरों की अनुमानित मांग और पटसन आयुक्त, कोलकाता के साथ परामर्श करके सरकारी खरीद एजेंसियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग की तदनुरूपी अनुमानित आपूर्ति क्षमता की समीक्षा की है।

तथा यद्यपि, भारत सरकार ने विचार किया है कि धान खरीद वाले राज्यों की अत्यधिक मांग के कारण 30 सितंबर, 2012 से आगे पटसन बौरों की आपूर्ति में कमी आयेगी ।

तथा यद्यपि, केएमएस 2012-13 में 30 सितम्बर, 2012 से आगे पटसन बौरों की आपूर्ति के कारण राज्य खरीद एजेंसियों के सामने आने वाली संभावित समस्याओं को देखते हुए

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार का मत है कि जनहित में तथा जेपीएम अधिनियम की धारा 16 (1) के उपबंध के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना, एतदद्वारा राज्य एजेंसियों को खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए 30 सितंबर, 2012 से आगे 2.188 लाख गांठ की कुल मात्रा तक मूल आदेश के प्रचालन से छूट देना (और इस प्रकार खाद्यानों की पैकिंग के लिए पटसन के अलावा अन्य सामग्री की अनुमति देना) आवश्यक अथवा उचित है। यह बोरे 15 नवम्बर, 2012 तक खरीद लिए जाएं।

उक्त छूट चालू पटसन वर्ष के लिए ऐसी एजेंसियों द्वारा की गई खाद्यान की कुल खरीद के 20% की सीमा के भीतर होगी । इस पर यह शर्त भी होगी कि एचडीपीई/पीपी बोरों का उपयोग केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में अर्थात मांगकर्ताओं / राज्य एजेंसियों द्वारा पटसन बोरों के लिए समय पर अनुमानित मासिक इंडेट (आर्डर) दिए जाने के बावजूद भी पटसन बोरे उपलब्ध न होने की स्थिति में किया जाएगा और राज्य एजेंसियों द्वारा एचडीपीई और पटसन बोरों का अंतिम शेष केंद्र सरकार को सूचित करना होगा । इस प्रयोजनार्थ एचडीपीई/पीपी बोरों की खरीद के लिए राज्य एजेंसी-वार, बटवारा खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वस्त्र मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर इस आदेश में निहित मानदण्डों के अंतर्गत किया जाएगा ।

[फा. सं. 9/15/2012-पटसन]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 17th October, 2012

S.O. 2511(E).— Whereas the Central Government vide Order No. S.O.88(E) dated 17th January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provision of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 percent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12. The validity of the said Principal Order has been extended upto 30.11.2012, vide Order No. S.O. 2362(E), dated 28th September, 2012.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

And, whereas, the Central Government in exercise of its power under section 16(1) of the JPM Act, vide Order No. S.O. 1524(E), dated 9th July, 2012 have exempted the state agencies from the operation of Principle Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 3.5 lakh bales for the period from July-September, 2012 during Khariff Marketing Season (KMS) 2012-13.

And, whereas, the Department of Food & Public Distribution has informed that against the aforeasaid exemption for 3.5 lakh bales of HDPE/PP bags, action could not be taken for the procurement of 2.188 lakh bales of HDPE/PP bags and hence requested that the Central Government Order No. S.O. 1524(E), dated 9th July, 2012 be extended beyond 30th September, 2012 for the remaining 2.188 lakh bales of HDPE/PP bags during the KMS 2012-13.

And, whereas, the Central Government has reviewed the projected demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for KMS 2012-13 and the corresponding projected supply capacity of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, the Government of India has considered that due to peak demands of the paddy procuring States, there would be a shortfall in the supply of jute bags beyond 30th September, 2012.

And, whereas, in view of the problems likely to be faced by the State Procurement Agencies due to shortage of supply of jute bags beyond 30th September, 2012 of KMS 2012-13.

Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempt the State Agencies from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 2.188 lakh bales beyond 30th September, 2012 for the Kharif Marketing Season 2012-13. These bags may be procured for the purpose upto 15th November, 2012

The proposed exemption would be within the limit of 20% of the total procurement of foodgrain made by such agencies for the current jute year. It is subject to the condition that the HDPE/PP Bags would be used only in case of emergency i.e. only when and to the extent the Jute bags are not available inspite of the indentors/ State agencies having placed the projected monthly indents for Jute bags in time and the closing balance of HDPE and Jute Bags would need to be furnished by the State Agencies to the Central Government. The State/Agency wise, apportionment of procurement of HDPE/PP bags would be done by the Department of Food & Public Distribution within the parameters contained in this order from time to time in consultation with the Ministry of Textiles.

[F. No. 9/15/2012-Jute]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.